

आ.क.वि.-4 सुगम	<p>भारतीय आयकर विवरणी</p> <p>[[एलएलपी से भिन्न] व्यष्टियों, हिन्दू अवियक्त कुटुम्ब और प्रमों के लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रु. तक है और जिसकी गणना धारा 44 कघ, 44कघ या 44कड के अधीन की जाती है]</p> <p>[[किसी व्यष्टि के लिए नहीं जो या कंपनी में निदेशक हो या असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया हो या इएसओपी में आयकर भिन्न है।]</p> <p>(पात्रता के लिए अनुदेश)</p>	निर्धारण वर्ष 2021-22
----------------	---	-----------------------

भाग क साधारण जानकारी											
(ए.1) प्रथम नाम			(ए.2) मध्य नाम			(ए.3) अंतिम नाम			(ए.4) स्थायी लेखा संख्या		
(ए.5) जन्म की तारीख (दिन/माह/तारीख)						(ए.6) फ्लैट/द्वार/मकान					
(ए.7) परिसर/भवन/ग्राम का नाम						(ए.8) मार्ग/गली/डाक-घर			(ए.9) क्षेत्र/अवस्थान		
(ए.10) नगर/शहर/जिला				(ए.11) राज्य			(ए.12) देश			(ए.13) पिन कोड/जिप कोड	
(ए.14) आधार नम्बर (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)											(ए.15) प्रास्थिति
											<input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हि.अवि.कु. <input type="checkbox"/> फर्म (एलएलपी से भिन्न)
मोबाइल नं 1 निवास/कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं 0						(ए.17) मोबाइल नं 2			(ए.18) ई मेल पता - 1 (स्वयं)		
											ई मेल पता - 2
(ए.19) रोजगार की प्रकृति - <input type="checkbox"/> केंद्र सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार. <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (उदाहरणार्थ पारिवारिक पेंशन आदि)											
(ए.20) धारा ... के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]						<input type="checkbox"/> 139(1)-नियत तारीख से पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4) नियत तारीख के पश्चात्, <input type="checkbox"/> 139(5)-पुनरीक्षित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119 (2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्					
या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई						<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142 (1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153क <input type="checkbox"/> 153ग					
(ए.21) यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं 0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)											
(ए.22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें											
क्या आप धारा 115 ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं											
यदि हां, कृपया पावती क्रमांक के साथ प्रपत्र 10-अ दाखिल करने की तारीख प्रस्तुत करें											
क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं परंतु अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (✓) • हां • नहीं											
यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें											
[नोट: यह तभी भरा जाना है यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर कर रहा]											
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)										(यदि हां है तो) रकम (रु)	
क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है?										(यदि हां है तो) रकम (रु)	
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)										(यदि हां है तो) रकम (रु)	
A.23 क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है () लागएं हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दे -											
(1) प्रतिनिधि का नाम											
(2) प्रतिनिधि की हैसियत											
(3) प्रतिनिधि का पता											
(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या/ आधार											

भाग ख - सकल कुल आय												केवल संपूर्ण (₹) में											
ख1 व्यवसाय और वृत्ति से आय (टिप्पण-अनुसूची बी पी की ड 8 से मूल्य प्रवि-ट करें।)												ख1											
ख2												i											
i सकल वेतन (ik + ix + ig)																							
क धारा 17(1) के अनुसार वेतन												ik											
ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य												ix											
ग धारा 17(3) के अनुसार												ig											
ii धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [यह सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]												ii											
iii शुद्ध वेतन (i-ii)												iii											
iv धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)												iv											
क धारा 16(ik) के अधीन मानक कटौतियां												ivक											
ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता												ivख											
ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर												ivग											
v 'वेतन' शीर्षक के अधीन प्रभाय आय (iii - iv) (टिप्पण: अनुसूची टी.डी.एस-1, यदि लागू हो)												ख 2											

ख3	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्व: अधिभोग में <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई <input type="checkbox"/>		
गृह संपत्ति	i वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराया मूल्य		i
	ii स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर	ii	
	iii वार्षिक मूल्य (i - ii)	iii	
	iv वार्षिक मूल्य का 30%	vii	
	v उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	viii	
	vi वर्ष के दौरान 30% से न्यून प्राप्त बकाया किराया	x	
	vii गृह संपत्ति शीर्षक के अधीन प्रभाष्य आय (vi- ix + x) (यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं) नोट: आवासीय संपत्ति से अधिकतम क्षति जिसे समायोजित किया जा सकता है 2,00,000 भारतीय रूपए है। क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजित करने के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें।		ख 3
ख4 अन्य स्रोतों से आय (ड्रापडाउन जैसे बचत खाते, जमा आदि से ब्याज ई-फाइलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें।) - टिप्पण- "अनुसूची टी.डी.एस 2" को भरना सुनिश्चित करें, यदि लागू हो			
कम करें : धारा 57(IIक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)		ख4	
ख 5 सकल कुल आय (ख1+ ख 2+ ख 3 + ख4) क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें		ख 5()	

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों का पालन करें और याद रखें कि 01-04-2020 से 31-07-2020 की अवधि के लिए निवेश/जमा/भुगतान के संबंध में कटौती का दावा फिर से नहीं किया जा सकता, यदि मूल्यांकन वर्ष 20-21 के लिए पहले की आहरित किया गया है।)

ग 1	80 ग	ग 2	80 गगग	ग 3	80 गगघ(1)	
ग 4	80गगघ(1ख)	ग 5	80गगघ (2)	ग 6	80 घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	
ग 7	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 8	80 घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 9	80ङ	
ग 10	80ङङ	ग 11	80ङङक	ग 12	80ङङख	
ग 13	80छ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 14	80छख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	ग 15	80छखग	
ग 16	80ननक	ग 17	80ननख	ग 18	80प	
ग 19	कुल कटौतियां (मद ग1 से ग18 को जोड़ें)					ग 19
ग 20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)					ग 20

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति

घ 1	कुल आय पर संदेय कर (ग 20)	घ 1
घ 2	धारा 87क के अधीन छूट	घ 2
घ 3	कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2)	घ 3
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर उपकर @ 4%	घ 4
घ 5	कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)	घ 5
घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (इस छूट का दावा करने हेतु कृपया फार्म 10इ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।)	घ 6
घ 7	राहत के बाद अतिशेन (घ 5 - घ 6)	घ 7
घ 8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ 8
घ 9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ 9
घ 10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ 10
घ 11	धारा 234घ के अधीन शुल्क	घ 11
घ 12	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ 12
घ 13	संदत्त कुल अग्रिम कर	घ 13
घ 14	संदत्त कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय	घ 14
घ 15	कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा (अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)	घ 15
घ 16	स्रोत पर कुल संगृहित कर (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)	घ 16

घ 17	कुल पूर्व संदत्त कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17			
घ 18	कुल संदेय (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ 18			
घ 19	प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)	घ 19			
घ 20	केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण - यदि कुपि आय 5000/-रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ट्रापडाउन का उपबंध करें)	घ 20			
घ 21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण				
बैंक खाता	क्र.सं०	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
	i				
	ii				
<p>1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।</p> <p>2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।</p>					

अनुसूची बी.पी. - कारबार या वृत्ति से आय के व्यौरे			
धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना			
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			
ड 1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां		
	क	यद्यपि विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व आदाता बैंक अथवा अदाता बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम प्राप्त किया गया अथवा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड प्राप्त किया गया	ड 1क
	ख	कोई अन्य प्रणाली	ड 1ख
ड 2	44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय		
	क	ड 1क का 6% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2क
	ख	ड 1ख का 8% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2ख
	ग	कुल (क + ख)	ड 2ग
नोट- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है धारा 44कघ के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए और दूसरी आईटीआर यथा लागू की जानी है।			

धारा 44कघ के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना			
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			
ड 3	सकल प्राप्तियां		ड 3
ड 4	धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय (ड 3 का 50%) या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो टिप्पण— यदि आय सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है कि धारा 44कघ के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए तथा दूसरी आईटीआर यथा लागू दायर की जाती है		ड 4

धारा 44कड के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना							
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन				
(i)							
	निर्धारित के स्वामित्व वाले माल वाहन का रजिस्ट्रीकरण सं०	माल वाहन का सकल वाहन भार (मी०ट० में)	मासों की संख्या, जिनमें माल वाहन स्वामित्व में रहा है	माल वाहन के लिए प्रति मास उपधारणात्मक आय (12 मी०ट० से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन की दशा में 1000 रुपए प्रति टन प्रति मास की दर से, या 7500 रु प्रति माह की दर से	माल वाहन की दशा में कुल उपधारणात्मक आय (3*4)	आय, जिसका माल वाहन की दशा में वास्तव में अर्जित करने का दावा किया गया है	धारा 44कड के अधीन उपधारणात्मक आय, (5) या (6) में से उच्चतर
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(क)							
(ख)							

आवश्यक होने पर पंक्तियां जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय, वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)			
ड 5	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (5) का योग] टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अंतर्गत निर्धारित से कम हैं अथवा किसी समय स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तब दूसरी आईटीआर यथा दायर की जानी है।		ड 5
ड 6	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज टिप्पण— यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा		ड 6
ड 7	धारा 44 कड (ड 5 - ड 6) के उपधारणात्मक आय		ड 7
ड 8	बिजनेस अथवा व्यवसाय शीर्ष के अंतर्गत प्रभाय आय (R 2MÉ + R 4+ R 8)		ड 8

माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना टिप्पण- प्रत्येक जीएसटीआइएन संख्या के लिए पृथक् रूप से नीचे सूचना दें-			
ड 9	जी.एस.टी.आइ.एन सं. (संख्याएं)	ड 9	
ड 10	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य	ड 10	
कारबार की वित्तीय विेशि-टियां टिप्पण-ड 11 से ड 25 के लिए, 31 मार्च, 2020 को यथाविद्यमान जानकारी दें (यदि लागू हों)			
ड 11	पूजी स्वामित्व वाले सहभागी/सदस्य	ड 11	
ड 12	निश्चित ऋण	ड 12	
ड 13	अनिश्चित ऋण	ड 13	
ड 14	अग्रिम	ड 14	
ड 15	नानाविध ऋणदाता	ड 15	
ड 16	अन्य देनदारियां	ड 16	
ड 17	कुल पूजी एवं देनदारियां (R 11 + R 12 + R 13 + R 14 + R 15 + R 16)	ड 17	
ड 18	अचल परिसंपत्तियां	ड 18	
ड 19	संपत्ति सूची (इन्वेंटरी)	ड 19	
ड 20	नानाविध कर्जदार	ड 20	
ड 21	बैंकों के साथ शेष	ड 21	
ड 22	नकद	ड 22	
ड 23	ऋण तथा अग्रिम	ड 23	
ड 24	अन्य परिसंपत्तियां	ड 24	
ड 25	कुल परिसंपत्तियां (R 18 + R 19 + R 20 + R 21 + R 22 + R 23 + R 24)	ड 25	
नोट	इस अनुसूची को दायर करने के लिए कृपया अनुदेश का संदर्भ लें (ई15, ई19, ई20, ई22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)		

अनुसूची-आयकर - आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे														
		बीएसआर कोड (स्तंभ 1)				निक्षेप की तारीख (स्तंभ 2)				चालान सं. (स्तंभ 3)			संदत्त कर (स्तंभ 4)	
आर 1														
आर 2														
आर 3														
टिप्पण	घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।													

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर सग्रह खाता संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के ब्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण	कृपया PE16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 - वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
	कर कटौती खाता संख्या (टैन) स्तंभ (1)	नियोजक का नाम स्तंभ (2)	वेतन के अधीन आय स्तंभ (3)	कटौती किया गया कर स्तंभ (4)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण	कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।			

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 - वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या प्रस्तुत प्ररूप 16ग और प्ररूप 16घ के अनुसार]								
क्र. सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैना/आधार सं.	अग्रपित अदावाकृत स्रोत पर कर कटौती	चालू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया)	प्रस्तुत तदनुसूची रिसीट/आहरण	अग्रपित स्रोत पर कर कटौती		
		कटौती का वित्तीय वर्ष	अग्रपित स्रोत पर कर कटौती	कटौती किया गया स्रोत पर कर कटौती	दावा की गई स्रोत पर कर कटौती	कुल रकम	आय का सीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								

